



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082021-228691
CG-DL-E-03082021-228691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2863]
No. 2863]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 2, 2021/श्रावण 11, 1943
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 2, 2021/SRAVANA 11, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2021

का.आ. 3085(अ).—सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के नियम 5 और नियम 7 के साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी सर्वेक्षण (इलेक्ट्रॉनिक एवं पोर्टल मोड) के माध्यम से थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला (आधार वर्ष: 2017-18) के लिए विनिर्मित वस्तुओं के 'मासिक बैकलॉग मूल्य आंकड़े 2017-18 से 2021-22 के सर्वेक्षण' पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक आंकड़ों के संग्रहण के लिए निर्देश देता है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एस-11014/आईएस/ सी ओएसए/2017-18-एफओडी तारीख 8 अक्टूबर 2020 द्वारा नियुक्त सांख्यिकी अधिकारियों को उनकी उल्लिखित भौगोलिक इकाइयों के संबंध में सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।

अतः इसलिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांख्यिकी भवन, सीबीडी शाहदरा में जीपीओए बिल्डिंग, कड़कड़डूमा कोर्ट के पास, दिल्ली-110032 को मासिक बैक लॉग मूल्य आंकड़े 2017-18 से 2021-22 पर सर्वेक्षणाधीन सांख्यिकी संग्रहण में सहायता करने तथा पर्यवेक्षण करने के लिए अभिकरण के रूप में नियुक्त करता है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त सांख्यिकी अधिकारियों को, उस भौगोलिक इकाई के भीतर, जिसके लिए सांख्यिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा इसके प्रदत्त अभिकरणों या ऐसे अभिकरणों में कार्यरत व्यक्तियों या किसी अभिकरण या कंपनी या संगठन या व्यक्तियों के संगम को संविदा के आधार पर नियोजित करने की शक्ति प्रत्यायोजित करता है।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन समस्त सांख्यिकी अधिकारियों को प्ररूप, अपेक्षित विशिष्टियां या वह अंतराल जिसके भीतर सांख्यिकी अधिकारी को सांख्यिकीय जानकारी दी जाएगी विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रत्यायोजित करता है।

संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र या प्राधिकार-पत्र अपने पास रखेंगे और अपनी अधिकारिता में प्रत्येक सूचना प्रदाता द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन करने, सुसंगत अभिलेख का निरीक्षण करने और यदि आवश्यक हो तो, स्पष्टीकरण मांगने, का कार्य करेंगे।

सम्यक सत्यापन और संवीक्षा के पश्चात्, सूचना प्रदाताओं द्वारा दिए गए मासिक बैंक लॉग मूल्य आंकड़े 2017-18 से 2021-22 पर सर्वेक्षण के संबंध में संगृहीत आंकड़ों का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रक्रमण किया जाएगा।

बैंक लॉग मूल्य आंकड़े 2017-18 से 2021-22 के संबंध में किसी कार्यकलाप में लगे हुए व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के अधीन उपबंधों द्वारा विनियमित होंगे।

अनुसूची

1. सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन:--

संगठित उत्पादन सैक्टर के थोक मूल्य से संबंधित आंकड़े, मासिक बैंक लॉग मूल्य आंकड़े 2017-18 से 2021-22 सर्वेक्षण के माध्यम से संगृहीत किए जाएंगे। एकत्रित किये गए आंकड़े थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला (आधार वर्ष: 2017-18) के संकलन के लिए प्रयोग किए जाएंगे।

2. सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र:--

मासिक बैंक लॉग मूल्य आंकड़े 2017-18 से 2021-22 सर्वेक्षण समस्त भारत के लिए सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अधीन संचालित किया जाएगा।

3. आंकड़े संग्रहण पद्धति:--

प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा उसकी अधिकारिता के अधीन सूचना प्रदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें वह तारीख उपदर्शित की जाएगी जब तक अधिकारी या कार्यालय जिसको, इकाई या इकाइयां जिनके लिए और प्ररूप जिनमें जानकारी दी जानी अपेक्षित है। सांख्यिकी अधिकारी सूचना प्रदाता को विहित सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल करने के लिए, ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन जो वह नोटिस में विनिर्दिष्ट कर सकेगा, अनुज्ञात कर सकेगा।

4. सूचना प्रदाताओं, जिनसे आंकड़े संगृहीत किए जा सकेंगे, की प्रकृति:--

मूल्य आंकड़ों के संग्रहण के लिए चयनित किसी इकाई (अर्थात् कोई कारखाना या स्थापन या उद्यम) का स्वामी या अधिभोगी, जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, इकाई के बारे में जानकारी देगा।

5. अवधि, जिसके दौरान सांख्यिकी संग्रहण पूर्ण किया जा सकेगा:--

प्रत्येक सूचना प्रदाता द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए तारीख नोटिस में उल्लिखित की जाएगी और वह साधारणतया नोटिस जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर होगी।

6. संदर्भ अवधि:--

जानकारी मासिक आधार पर 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक दी जानी अपेक्षित है।

7. संगृहीत की जाने वाली जानकारी की प्रकृति:--

मूल्य के संबंध में जानकारी मासिक थोक विक्रय मूल्य पर अपेक्षित है। मद व्यौरे इकाइयों के पूर्ण संपर्क व्यौरे (कार्यालय ई-मेल, मोबाइल, लैंडलाइन नंबर और पूर्ण डाक पता) सहित अभिलिखित किए जाने हैं।

- थोक विक्रय मूल्यों (मद/मदों) के संव्यवहार और उत्पाद विनिर्देशन (विनिर्देशनों) के प्रथम स्तर पर थोक विक्रय का मूल्य), एचएसएन कोड, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)/उत्पादन शुल्क और व्यापार बट्टा इकाई द्वारा उत्पादित मद पर संगृहीत किया जाना है।

8. भाषा, जिसमें सूचना प्रदाता द्वारा जानकारी दी जानी है:--

सूचना प्रदाता विहित प्ररूप में, हिन्दी या अंग्रेजी में जानकारी देगा। तथापि, आंकड़े अंग्रेजी में रिपोर्ट किए जाने चाहिए।

9. सूचना प्रदाता की बाध्यता:--

किसी इकाई का स्वामी या अधिभोगी संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस में उल्लिखित रीति और तारीख तक सूचना देगा। उसे निरीक्षण के लिए सुसंगत अभिलेख का भी उत्तर देना चाहिए और मांगी गई जानकारी के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, जैसा कि सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपेक्षित हो।

10. कारबार अभिलेखों और अन्य अभिलेखों, जिनका निरीक्षण किया जा सकेगा, की प्रकृति:--

किसी इकाई के कारबार अभिलेख जैसे कि तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा, मस्टर रोल, हाजरी रजिस्टर, श्रम रजिस्टर, वेतन रोल, निदेशक की रिपोर्ट या इकाई द्वारा जानकारी के समर्थन में दिया गया कोई अन्य विधिक दस्तावेज का सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

11. निरीक्षण की रीति:--

संबंधित सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति इकाई द्वारा दी गई जानकारी इकाई के कारबार अभिलेख या अन्य अभिलेखों के आधार पर सत्यापित कर सकेगा और संबंधित स्वामी या अधिभोगी या इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकेगा।

नोट: किसी प्रकार कि विसंगति कि स्थिति में इस अधिसूचना का अंग्रेजी भाषा संस्करण मान्य होगा।

अनुसूची-II

क्रम सं.	सांख्यिकीय अधिकारी	कार्यक्षेत्र	पता
1	श्री किशोर कुमार, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू	जम्मू तथा कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), मकान सं. 34, सैक्टर-ए, एक्सटेंशन, सैनिक कालोनी, जम्मू -180011
2	श्री रजनीश माथुर, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, मोहाली	पंजाब	एनएसओ (एफओडी), बिल्डिंग नंबर 418 बल्क मैटेरियल मार्केट, सेक्टर 65 फेज- II, एसएस नगर, मोहाली-160065
3	श्री अल्ताफ हुसैन हाजी, उपमहानिदेशक,	हिमाचल प्रदेश	एनएसओ (एफओडी), बोस वेल विला, दीपक परियोजना शिमला के पास - 171005

क्रम सं.	सांख्यिकीय अधिकारी	कार्यक्षेत्र	पता
	क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला		
4	श्री बी.एस. छाबरा, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	हरियाणा एवं चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	रा.सा.का. (क्षे.सं.प्र.), 6 वींमंनजल, केंद्रीय सदन, से. 9-ए, चंडीगढ़-160017
5	श्री नीतीश कुमार, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	दिल्ली	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), सांख्यिकी भवन, डी. ब्लॉक, चौथा तल, जी.पी.ओ.ए. बिल्डिंग, सी.बी.डी. शाहदरा, नजदीक कडकडडूमा कोर्ट, दिल्ली-110032
6	श्री हंस राज यादव, उपमहानिदेशक, आंचलिक कार्यालय, जयपुर	राजस्थान	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), 55 केशव मार्ग, लेन न.-3, हवा सड़क, जयपुर-302019
7	श्री, साजी जॉर्ज उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलूरु	कर्नाटक, और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (संघ क्षेत्र)	रा.सा.का. (क्षे.सं.प्र.), पांचवां तल, ई. तथा एफ. विंग, केन्द्रीय सदन, 17 मेन- द्वितीय ब्लॉक, कोरामंगला, बंगलूरु-563004
8	श्री आर मनोहर, निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी	गोवा	सर्वेक्षण भवन, 1309/1, गोवा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पोरवोरिम, बर्देज़ गोवा-403521
9	डा. पी टी सुभा, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु तथा पुडुचेरी (संघ क्षेत्र)	'बी'विंग, दूसरा तल, III ब्लॉक, शास्त्री भवन, हैडास रोड, नंगमबक्कम, चेन्नई-600006
10	श्रीमति सुनीता भास्कर, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, त्रिवेन्द्रम	केरल तथा लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), ब्लॉकबी., भूतल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पुनकुलम, वेलाइनी, पीओ, त्रिवेन्द्रम-695522
11	श्री किरण कुमार रवुरी, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	रा.सा.का. (क्षे.सं.प्र.), पांचवां तल, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, आटोनगर, विजयवाड़ा-520007
12	श्री डी० सतीश, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	एनएसओ (एफओडी), 293/7, प्रथम तल, आर एंड बी कॉम्प्लेक्स, महावीर मार्ग, एसी गार्ड, हैदराबाद- 500004
13	श्री सी०एस० मिश्रा, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), सेक्टर-11, आईएनएस-IV, विकासनगर, रिंगरोड, लखनऊ-226022
14	श्री एस शाहू,	उत्तराखंड	सी-15, सेक्टर-1, डिफेन्स कॉलोनी,

क्रम सं.	सांख्यिकीय अधिकारी	कार्यक्षेत्र	पता
	उपमनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून		देहरादून-248001
15	श्री संजीव बसु, उपमनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	मध्य प्रदेश	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), विजय स्तम्भ, हाल नं-201 व 205, दूसरा तल, मं पं नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011
16	श्रीमती एन. संगीता, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	बिहार	एनएसओ (एफओडी), 7वीं मंजिल, ब्लॉक डी एंड ई, कर्पूरी ठाकुर संदन, जीपीओए बिल्डिंग, राजीव नगर थाना के पास, आशियाना दीघा रोड, पटना - 800025
17	श्री किरण कुमार, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	ओडिशा	एनएसओ (एफओडी), वाणिज्यिक परिसर, पहली मंजिल, आचार्य विहार, भुवनेश्वर-751013
18	श्री अजय बक्सी, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	एनएसओ (एफओडी), सीजीओ कॉम्प्लेक्स महलनोबिस भवन, द्वितीय तल, ई विंग डीएफ ब्लॉक सैक्टर-I साल्ट लेक, कोलकाता-700064
19	श्री आरं. के. तिवारी, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची	झारखंड	एनएसओ (एफओडी), 5वीं मंजिल, जिला परिषद विपणन परिसर, राँची नगर निगम के पास, कच्छी रोड, राँची -834001, झारखंड
20	श्री स्वपनली भट्टाचार्य, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	असम,	तीसरा तल, केन्द्रीय खंड, हौसेफेड कॉम्प्लेक्स, बसिसथा रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006
21	डॉ. के. एम. सिंह उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, इटानगर (कैंप क्षेत्रीय कार्यालय, डिब्रूगढ़)	अरुणाचल प्रदेश	डीडीए, मार्केट कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स, टॉप फ्लोर, फूलबगान, डीटीओ ऑफिस के सामने, डिब्रूगढ़ - 786001
22	श्री सैयद इकबाल शुजा नकवी, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग	मेघालय,	रा.सा.का. (क्षे.सं.प्र.), दत्ता कुटीर, आकलैंड रोड, शिलांग-793001
23	श्री निमत कुमार तुड़, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, अगरतला	त्रिपुरा व मिजोरम	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), श्री राम विल्ला, नजदीक एसबीआई, डाकखाना कुश्बन, अगरतला-799006, त्रिपुरा
24	श्री एम एम सिंह, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, इम्फाल	नागालैंड तथा मणिपुर	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), थैगमेईबैंड लाउरंग पुरेल लेकेई, इमाइमोईनूसाना सांगलेनपी.ओ., इम्फाल-795001

क्रम सं.	सांख्यिकीय अधिकारी	कार्यक्षेत्र	पता
25	श्री जगत हज़ारिका निदेशक, आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी	सिक्किम	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), आंचलिक कार्यालय, तीसरातल, केंद्रीय ब्लॉक, हाउस फेड कॉम्प्लेक्स, बसीठा रोड, दिसपुर गुवाहाटी, 781006
26	श्रीमति सुप्रिया राँय, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई	महाराष्ट्र	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), चौथा तल, ए-2/3 विंग, निकट कोंकण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सीवीडी बेलापुर, नवीमुम्बई-400614
27	श्री एस. के. भानवत, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) और दमन एवं दीप (संघ राज्य क्षेत्र)	रा.सा.का. (क्षे.सं.प्र.), अर्बन हेल्थ सेंटर के निकट, नारायणपुरा पुलिस स्टेशन के पीछे, पुरुषोत्तम नगर, नवा वेडास, अहमदाबाद-380013
28	श्री रोशन लाल साहू उपमहानिदेशक, क्षेत्रीयकार्यालय, रायपुर	छत्तीसगढ़	रा.सा.का (क्षे.स.प्र.), भगत माता कर्मा, व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल, कमरा स. 8 से 25 , न्यू राजेंद्र नगर , रायपुर (छ. ग.) -492006

[फा. सं. ओइए-11026(11)/1/2021-डब्ल्यूपीडी]

मीनाक्षी रावत, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd August, 2021

S.O. 3085(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 and section 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rule 5 and rule 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of Commerce and Industry hereby directs collection of statistics on wholesale prices of manufacturing items for new series of Wholesale Price Index (Base: 2017-18) through a statistical survey (through electronic mode or on-line portal), hereinafter referred to as 'Survey on monthly backlog price data 2017-18 to 2021-22' as per the details mentioned in the Schedule.

The Ministry of Commerce and Industry in consultation with MoSPI hereby appoints statistics officers appointed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Statistics and Programme Implementation number S-11014/IS/COSA/2017-18-FOD dated 8th October 2020 as statistics officers in respect of the geographical units mentioned thereof.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Collection of Statistics Act 2008, the Ministry of Commerce and Industry appoints Sankhiyiki Bhawan, GPOA Building at CBD Shahdara, Near Karkardooma Court, Delhi-110032 as the agency to aid in and supervise the collection of statistics under the survey on monthly backlog price data 2017-18 to 2021-22.

In exercise of powers conferred by sub-section (4) of section (4) Collection of Statistics Act 2008, the Ministry of Commerce and Industry delegates to all statistical officers, the power of appointing agencies or persons working in such agencies or employing on contract basis any agency or company or organisation or association of persons, conferred on it by sub-section (2) and sub-section (3) of section 4 of the said Act within the geographical unit for which the statistics officer is appointed.

Also, the Ministry of Commerce and Industry under sub section (6) of section (4) of Collection of Statistics Act, 2008 delegates to all statistics officers, the power to specify the form, particulars required or the interval within which the statistics officer to whom the statistical information shall be furnished.

The persons authorised by the concerned statistics officer shall carry a photo identity card or a letter of authorisation issued by the concerned statistics officer and would be engaged in their jurisdiction for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records and for seeking clarifications, as may be necessary.

The statistics collected in respect of the survey on monthly backlog price data 2017-18 to 2021-22 furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at Department for Promotion of Industry and Internal Trade.

The persons engaged in any activity in respect of the monthly backlog price data 2017-18 to 2021-22 shall be governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 and the Collection of Statistics Rules, 2011.

SCHEDULE

1. Subject and purpose of collection of statistics: -

Statistics relating to wholesale prices of organised manufacturing sector is collected through monthly backlog price data 2017-18 to 2021-22 survey. The data will be used in compilation of new series of WPI (Base Year: 2017-18).

2. Geographical area for collection of statistics: -

The monthly backlog price data 2017-18 to 2021-22 survey is conducted under the Collection of Statistics Act, 2008 for the whole of India.

3. Method of data collection: -

A notice will be issued by each statistics officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats in which information is required to be furnished. A statistics officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form, subject to such other conditions that he may specify in the notice.

4. Nature of informants from whom data may be collected: -

The owner or occupier of a unit (i.e., a factory or establishment or enterprise) selected for collection of price data who would be issued notice by a statistics officer shall furnish information about the unit.

5. Period during which collection of statistics may be completed: -

The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and it would generally fall within one month from date of issue of notice.

6. Reference period: -

Information is required to be furnished from 1st April, 2017 till 31st March, 2022 on a monthly basis.

7. Nature of information to be collected: -

Information is required on monthly wholesale prices in terms of value. The item details have to be recorded along with complete contact details of the units (official e-mail, mobile, landline number and complete postal details)

- For price: Information on wholesale prices (price for bulk sale at first stage of transaction of the item(s) and product specification(s)), HSN codes, GST/excise duty and trade discount is to be collected on an item manufactured by the unit.

8. Language in which information is to be furnished by informant: -

An informant shall furnish information in the prescribed formats either in Hindi or in English. However, data should be reported in English.

9. Obligation of informant: -

An owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned statistics officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the statistics officer or a person authorised by him.

10. Nature of business records and other records which may be inspected: -

Business records of a unit, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance register, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the statistics officer or a person authorised by him.

11. The manner of inspection: -

The concerned statistics officer or a person authorised by him may verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek clarification from the concerned owner or occupier or a person authorised by the management of the unit.

Note: The English language version of this Notification shall be controlling in all respects and shall prevail in case of any inconsistencies with translated versions, if any.

SCHEDULE-II

Sl. No.	Statistical Officer	Jurisdiction	Address
1	Shri Kishore Kumar, DDG, RO, Jammu	Jammu & Kashmir (UT) & Ladakh (UT)	NSO (FOD), H. No.-34, Sector -A, Ext. Sainik Colony, Jammu-180011
2	Shri Rajnish Mathur, DDG, RO Mohali	Punjab	NSO (FOD), Building No. 418 Bulk Material Market, Sector 65, Phase-11, SAS Nagar, Mohali-160065.
3	Shri Altaf Hussian Haji, DDG, RO, Shimla	Himachal Pradesh	NSO (FOD), BOSE WELL VILLA, NEAR DEEPAK PROJECT SHIMLA- 171005
4	Shri Baljeet Singh Chhabra, DDG, RO, Chandigarh	Haryana & Chandigarh (UT)	NSO (FOD), 6th Floor, Kendriya Sadan, Sec-9A, Chandigarh-160017
5	Shri Nitish Kumar, DDG, RO, Delhi	Delhi	N.S.O. (F.O.D), MOSPI, Sankhiyaki Bhawan, D- Block, 4th Floor, GPOA Building, CBD Shahdara, Near Karkardooma Court, Delhi -110032
6	Dr. Hansraj Yadav, DDG, ZO, Jaipur	Rajasthan	N.S.O. (F.O.D), 55 Keshav Nagar, Lane no. 3, Hawa Sadak, Jaipur-302019.
7	Shri Saji George, DDG, RO, Bengaluru	Karnataka, and Andaman & Nicobar Islands (UT)	NSO (FOD), Regional Office, 5th floor, E&F Wing Kendriya Sadan, 17 Main-2nd Block, Koramangala, Bangalore-563004.
8	Shri. R Manohar, Director, RO Panaji	Goa	Sarvekshana bhavan, 1309/1, Goa Housing board colony, Porvorim, Bardez Goa-403521.
9	Dr P T Subha, DDG, RO, Chennai	Tamilnadu & Puducherry (UT)	B Wing, II Floor, III-Block, Shastri bhawan, Haddows road, Nungambakkam, Chennai-600006.
10	Smt. Sunitha Bhaskar, DDG, RO, Thiruvananthapuram	Kerala & Lakshadweep (UT)	NSO (FOD), Block B, Ground Floor, CGO Complex, Poonkulam, Vellayani P.O. Thiruvananthapuram-695522.
11	Shri Kiran Kumar Ravuri DDG, RO, Vijaywada	Andhra Pradesh	NSO(FOD), 5th floor, C.G.O. complex, Industrial estate, Autonagar, Vijayawada-520007.
12	Shri D. Satish DDG, RO Hyderabad	Telangana	NSO(FOD), 293/7, Ist Floor, R&B complex, Mahavir marg, A.C. guards, Hyderabad-500004.
13	Shri C.S. Mishra DDG, RO, Lucknow	Uttar Pradesh	NSO Bhavan, Sector-11, INS-IV, Vikas Nagar, Ring Road, Lucknow-226022.
14	Shri Shankarshan Sahu DDG, RO Dehradun	Uttarakhand	C-15, Sector-1, Defence Colony, Dehradun-248001.
15	Sh. Sanjib Basu DDG, RO, Bhopal	Madhya Pradesh	NSO (FOD), Vijay Stambh, Hall No. 201 & 205, Block-B, 2nd Floor, M.P. Nagar

Sl. No.	Statistical Officer	Jurisdiction	Address
			Zone-I, Bhopal-462011.
16	Smt. N. Sangeetha DDG, RO, Patna	Bihar	NSO (FOD), 7th Floor, Block D & E, Karpuri Thakur Sandan, GPOA Building, Near Rajiv Nagar Thana, Ashiyana Digha Road, Patna - 800025.
17	Shri Kiran Kumar, DDG, RO, Bhubaneswar	Odisha	NSO (FOD), Commercial Complex, 1st Floor, Acharya Vihar, Bhubaneswar-751013.
18	Shri Ajay Bakshi, DDG, RO, Kolkata	West Bengal	NSO (FOD), CGO Complex, 2 nd floor, E-Wing DF Block, Sector-I, Salt Lake, Kolkata - 700064
19	Shri Ranjit Kumar Tiwari, DDG, RO, Ranchi	Jharkhand	NSO(FOD), 5th Floor, Zila Parishad Marketing Complex, Beside Ranchi Nagar Nigam, Kutchery Road, Ranchi -834001, Jharkhand.
20	Mrs. Swapnalee Bhattacharya, DDG, RO, Guwahati	Assam	NSO(FOD), 3rd Floor, Central Block, Housefed Complex, Basistha Road, Dispur Guwahati-781006.
21	Dr. K. M. Singh, DDG, RO, Itanagar (Camp Office RO Dibrugarh)	Arunachal Pradesh	DDA, Market cum office complex, top floor, phoolbagan, opposite DTO office, Dibrugarh - 786001
22	Shri Syed Iqbal Shuja Naqvi, DDG, RO, Shillong	Meghalaya	NSO (FOD), Dutta Kuthir, Oakland Road, Shillong-793001.
23	Shri Nimat Kumar Tudu, DDG, RO, Agartala	Tripura and Mizoram	Sree Ram villa, near SBI, PO Kunjaban Agartala, Tripura - 799006.
24	Shri M. M. Singh, DDG, RO, Imphal	Nagaland and Manipur	NSO (FOD), Thangmeiband Lourung Pural Lekei, Imaemoinu sana sanglen, P.O. Imphal-795001
25	Shri Jagat Hazarika, Director, ZO, Guwahati	Sikkim	NSO(FOD), Zonal office, 3rd Floor, Central Block, Housefed Complex, Basistha Road, Dispur Guwahati-781006.
26	Smt. Supriya Roy DDG, RO, Mumbai	Maharashtra	NSO (FOD), 4th Floor, A-2/3 Wing, Near Konkan Bhawan, CGO complex Building, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.
27	Shri S.K. Bhanawat DDG, RO, Ahmedabad	Gujarat, Dadra and Nagar Haveli (UT) & Daman and Diu (UT)	NSO(FOD), Near Urban Health Centre, behind Narayanpura Police Station, Purshottam Nagar, Nava Vadas, Ahmedabad-380013
28	Shri Roshan Lal Sahoo, DDG, RO, Raipur	Chhattisgarh	NSO (FOD), 2nd Floor, Bhakta Mata Karma Commercial Complex, Room No.8-25, New Rajendra Nagar, Raipur-492006

[F. No. OEA-11026(11)/1/2021-WPD]

MEENAXI RAWAT, Economic Advisor